अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या– 3010 /9–1–2022–54सा/22

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 02 अगस्त, 2022

विषयः वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों/ग्राम पंचायतों में पूर्व से चल रहे विकास कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनेक ग्रामों को मिलाते हुए 18 नई नगर निकायों का गठन एवं 20 नगर निकायों का विस्तार किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की समस्त नगर निकायों में भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 6.88 लाख जनसंख्या में वृद्धि तथा 551.93 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में अनेक ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों का अस्तित्व नगर निकायों में संविलीन हो गया है। उक्त के अतिरिक्त और निकायों के गठन एवं सीमा विस्तार की कार्यवाही प्रचलित है।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि के द्वारा संबंधित राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायतों में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जैसे– मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), वित्त आयोग (केन्द्रीय/राज्य) द्वारा प्राप्त अनुदानों से कराये जा रहे कार्य इत्यादि। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत नये गठित निकायों/निकायों के विस्तारित क्षेत्र में उक्त अधिनियमों के प्राविधानों को क्रियारूप/क्रियाशील (Functional) किये जाने में अनेक विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने में समय लग सकता है, जिसके कारण संबंधित राजस्व ग्रामों/ग्राम पंचायतों के नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप उनमें चल रहे ग्रामीण विकास संबंधी चालू कार्य व योजनायें आदि प्रभावित हो सकते हैं। नगर पंचायतों के रूप में संविलीन हो रही ग्राम पंचायतों में चल रहे सभी विकास कार्यों तथा लाभार्थीपरक कार्यों की निरन्तरता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है।

3. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 8 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रश्नगत ग्राम पंचायतों की आस्तियों और दायित्वों के सुसंगत रूप से हस्तान्तरण एवं उ0प्र0 पंचायराज नियमावली के नियम 3–ककक के अन्तर्गत डिनोटीफिकेशन होने तक इन क्षेत्रों की नागरिक सुविधाओं, साफ–सफाई, जल निकासी, सैनिटेशन, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्यों की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक होगा। अतः ऐसे राजस्व

ग्रामों/ग्राम पंचायतों, जिन्हें नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है (या शीघ्र ही कर दिया जायेगा), उनमें संचालित योजनाओं के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :–

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पंचायतीराज, ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत आवंटित धनराशि से संचालित किये जा रहे विकास कार्य एवं लाभार्थीपरक योजनाएँ पूर्व की भाँति अनवरत रूप से जारी रहेंगी। कराये जा रहे कार्यों को अभियान के तौर पर वित्तीय वर्ष 2022–23(मार्च 2023) की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
- संबंधित ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की गयी धनराशि के उपभोग की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जाय और मासिक समीक्षा रिपोर्ट निदेशक पंचायतीराज निदेशालय एवं निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को प्रेषित की जाय।
- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी संविलीन होने वाली ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित चालू योजनाओं तथा लाभार्थीपरक योजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु अपने स्तर से अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
- जनसुविधाओं– साफ–सफाई, जल निकासी, सैनिटेशन, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त होती रहें, इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

4. आस्तियों व दायित्वों के हस्तांतरण के लिए इन ग्राम पंचायतों/क्षेत्रों में सृजित की गयी चल–अचल परिसम्पत्तियों की अद्यतन विस्तृत सूची तैयार कर निदेशक, पंचायतीराज विभाग एवं निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, पंचायतीराज विभाग, ग्राम विकास विभाग एवं राजस्व विभाग।
2. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी।
5. संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने नगरीय निकाय में सम्मिलित ग्राम पंचायतों/क्षेत्रों में जनसुविधाओं की निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।